न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 77 / 2023

अनवान : –

1. रमजान पुत्र जब्बार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 07/06/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 299 / 297 की कुल 13.607 हैक्ट भूमी में से 1 / 12 हिस्सा भूमि व खाता स0 302 / 296 की कुल 3.6550 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार दर्ज है जो कि गलत है वादी के पिता का सही नाम अब्दलु जबार की बजाय वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड आदि में जब्बार मोहम्मद दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपने पिता का सही नाम नोपाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया। अहमद अली पुत्र अब्दुल जबार व अस्त अली पुत्र अब्दुल जबार द्वारा वादी के नाम के संशोधन के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का रमजान [illegible] मोहम्मद है जबकि राजस्व रिकार्ड में रमजान पुत्र अब्दुल जबार दर्ज होने से वादी को [illegible] प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादी अपनी खातेदारी के नियमित [illegible]योग–उपभोग से वं[illegible] अतः राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड मे वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार के स्थान पर रमजान पुत्र जब्बार मोहम्मद दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 299/297 की कुल 13.607 हैक्ट भूमी में से 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 302/296 की कुल 3.6550 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड आदि में वादी का नाम रमजान पुत्र जब्बार मोहम्मद है तथा अहमद अली पुत्र अब्दुल जबार व अस्त अली पुत्र अब्दुल जबार द्वारा वादी के नाम के संशोधन के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 299/297 की कुल 13.607 हैक्ट भूमी में से 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 302/296 की कुल 3.6550 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार के स्थान पर रमजान पुत्र अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार मोहम्मद के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रमजान पुत्र अब्दुल जबार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रमजान पुत्र अब्दुल जबार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 77/2023
अनवान : –

1. रमजान पुत्र जब्बार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 77 सन 2023 निर्णय दिनांक 07/06/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 299/297 की कुल 13.607 हैक्ट भूमी में से 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 302/296 की कुल 3.6550 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार के स्थान पर रमजान पुत्र अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार मोहम्मद के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रमजान पुत्र अब्दुल जबार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रमजान पुत्र अब्दुल जबार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम रमजान पुत्र अब्दुल जबार नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:22 IST
Reason: SelfAttested